राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः— एफ.4(ई)द्वितीय एसीपी / 1994 / अलेसे—III / 10503-517 दिनांकः— 04-09-2015

आदेश संख्या 96 / 2015—16

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.11(7) वित्त(नियम / 2008 / दिनांक 12..09.2008 एवं आदेश संख्या एफ11(7) वित्त (नियम) पार्ट—I / 2008 दिनांक 06.10.2008 के अनुसरण में निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकारों को, जिन्होने कनिष्ठ लेखाकार के पद पर 18 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली है, उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 6 में उल्लेखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद का द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी) पे—बेण्ड 2(9300—34800) में ग्रेड पे 4200/— पर एवं राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 14(88)वित्त (नियम) 2008 दिनांक 05 जुलाई, 2013 के अनुसरण में दिनांक 01.07.2013 से ग्रेड पे 4800/— में स्वीकृत की जाती है।

क्र.स.	नाम क0 लेखाकार सर्व श्री	मेरिट संख्या/ बैंच संख्या	लिंक नं0	क.लेखाकार पद पर प्रथम कार्यग्रहण तिथि	द्वितीय एसीपी देय तिथि
1	2	3	4	5	6
1.	अविनाश चन्द्र व्यास	149 / 1994	4233	19.02.1996	19.02.2014
2.	हिम्मत सिंह देवल	444 / 1994	4430	30.03.1996	30.03.2014
3.	महेन्द्र सिंह	163 / 1994	2874	19.02.1996	19.02.2014
4.	योगेन्द्र प्रकाश व्यास	323 / 1994	6118	27.02.1996	27.02.2014
5.	राजीव विजय	451 / 1994	2629	20.02.1996	20..02.2014
6.	तुलसीदास कालरा	703 / 1988	5554	11.11.1991	11.11.2009

उक्त कनिष्ठ लेखाकारों को वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प014 (88) वित्त/ नियम/2008 दिनांक 31.12.2009 में दी गई शर्तो के संबंध में संतोषजनक सेवा संबंधी प्रमाण पत्र तथा संतान संबंधी घोषणा प्राप्ति के आधार पर द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृत की जाती हैं।

उपरोक्त क्रम संख्या 1, 2, एवं 5 पर अंकित कनिष्ठ लेखाकार के गत सात वर्ष में से पूरे 07 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने पर नियमानुसार गत 9 वर्ष में से 7 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की उपलब्धता के आधार पर द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति इस शर्त पर स्वीकृत की जाती है कि भविष्य में प्राप्त उक्त अवधि के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जावेगा तथा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति के बारे में निर्णय लिया जाकर तद्नुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

उपर्युक्त कनिष्ठ लेखाकारों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12.9.2008 के पैरा 19 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावें कि संबंधित कर्मचारी संशोधित वेतनमान 2008 में वेतन प्राप्त कर रहा हैं तथा पूर्व में इन्हें द्वितीय आश्वासित

लम्बित अथवा प्रस्तावित नहीं है एवं गत 7 वर्षों में नियमित रूप से वेतन वृद्धियां मिल रही हैं। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से संबंधित कनिष्ठ लेखाकार की सेवापुस्तिका में की जावें।

(भास्कर शर्मा)

निदेशक

कमांकः– एफ.4(ई)द्वितीय एसीपी / 1994 / अलेसे–III / 10503–517 दिनांकः– 04-09-2015

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विभागाध्यक्ष / कार्यालयध्यक्ष..
2. श्री...कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय..
3. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक महोदय।
4. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–I) / एपीएआर शाखा को प्रेषित कर लेख है कि क्रम संख्या 1, 2 एवं 5 पर अंकित कनिष्ठ लेखाकार के भविष्य में वांछित वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर यदि उनमें कोई प्रतिकूल प्रविष्टि प्राप्त होती है, तो उनके प्रकरण को पुनः खोले जाने के प्रस्ताव इस शाखा को प्रेषित करें।
5. उपनिदेशक(एसीपी) को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. निजी पत्रावली / गार्ड फाईल।

संयुक्त निदेशक
(कार्मिक–III)